

张0次0是0是0是0是0是0是0是0是0是0是0

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिविल सर्विस अवार्ड वर्ष-2014

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में 23 अप्रैल, 1994 को **राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश** की स्थापना की गई। यह आयोग प्रदेश के 12 ज़िला परिषदों, 78 पंचायत समितियों, 3243 ग्राम पंचायतों, एक नगर निगम व 48 शहरी निकायों के निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य का निष्पादन करता है, जिसमें लगभग 47 लाख मतदाता भाग लेते हैं।

वर्ष 2010 में हुए पंचायतों एवं शहरी निकायों के निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने इन संस्थाओं की मतदाता सूचियाँ भारत के निर्वाचन आयोग के आधारक आँकडों से तैयार करवाई। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में नगर निगम, शिमला की मतदाता सूचियाँ भी इसी प्रकार तैयार करवाई गईं तथा इनमें मतदाता फोटो भी लगाए गए। ग्राम पंचायतों व नगर निगम में किए गए इस प्रयोग से उत्साहित होकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं की मतदाता सूची में मतदाता फोटो व पहचान-पत्र संख्या की प्रविष्टि करने का निर्णय लिया तथा 1 जनवरी, 2013 तक की मतदाता सूचियाँ फोटो व पहचान-पत्र संख्या सिहत सफलतापूर्वक तैयार करवाई गईं। इस कार्य से न केवल धन व श्रम-शिक्त, बल्कि समय व सामग्री की भी बचत हुई है। इससे मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण पर रोक लगाने में मदद मिली और भविष्य में भी जो मतदाता भारत के निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत होगा, वह स्वत: ही राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों में भी दर्ज हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के आंकडों से मतदाता सूची तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम राज्य है तथा अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड व हिरयाणा जैसे राज्य हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन आयोग से इस विषय में सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए इस उत्कृष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार इन्हें सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित करती है।

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0

(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश の教の教の祭の祭の祭の祭の

の報じが

15 अगस्त, 2014

がい

がの日 単語 T 27

がなる。